10/7/19

वकील वादी के आवेदन पर पत्रावली अग्रिम पेश हुई। वादी लिए उपस्थित वकील वादी ने निवेदन किया कि इस प्रकार के प्रकरण समझौता हो रहा है तथा अब इस वाद को चलाना नहीं चाहते हैं अतः पत्रावली समझौता वादी का वाद खारिज किया जावे।

वकील वादी को सुना गया रेकर्ड का अवलोकन किया। वादी अपने वाद को चलाना नहीं चाहते हैं अतः पत्रावली समझौता होना लिखे सारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना, जिला-नागौर

Scanned by CamScanner